



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 4997 / 2021

दिनांक: 19 सितम्बर 2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

विषय: मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या - 42602 / 2019 में पारित निर्णय
दिनांक: 05 फरवरी, 2020 के अनुपालन में शुल्क वापसी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या - जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प
(सा0प्र0) / 4881 / 2021, दिनांक: 24 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपसे दो
बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी, परन्तु आपके महाविद्यालय से वांछित विवरण अप्राप्त होने
के कारण शुल्क वापसी के कार्य में प्रगति नहीं हो सकी है।

ध्यातव्य है कि शुल्क वापसी के सम्बन्ध में कतिपय महाविद्यालयों द्वारा माननीय
उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया हुआ है, जिसमें शीघ्र सुनवाई की जानी है।

तत्क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व पत्र दिनांक: 24 अगस्त, 2021 में
अंकित विवरण दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक विश्वविद्यालय में प्रत्येक दशा में प्रेषित
करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(एस0 एल0 पाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. माननीय कुलपति जी।
2. विश्वविद्यालय अधिवक्ता को तदनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि समस्त कालेज लागिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप कुलसचिव